

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय -2 की
धारा-4 (1) ख (8)

मैनुअल संख्या - 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक ब्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ।

--

मैनुअल -8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक ब्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण ।

निदेशक मण्डल

निगम का प्रबन्धन निदेशक मण्डल में निहित है । कम्पनी के Articles of Association के अनुसार निदेशक मण्डल में कम से कम तीन तथा अधिकतम बारह निदेशक हो सकते हैं। वर्तमान में (10-08-2010) निदेशक मण्डल का संयोजन निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम
01	श्री उत्पल कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन
02	श्री आर०पी० थपलियाल	प्रबन्ध निदेशक
03	श्री आलोक कुमार जैन	प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, गैर कार्यकारी निदेशक
04	श्री पी०सी०शर्मा	प्रमुख सचिव (उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम), उत्तराखण्ड शासन, गैर कार्यकारी निदेशक
05	श्री नितेश कुमार झा	अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, गैर कार्यकारी निदेशक
06.	डा० एस० रमेश	स्वतंत्र निदेशक
07.	श्री सी०एम० वासुदेव	स्वतंत्र निदेशक
08.	श्री एस०सी० सेन	स्वतंत्र निदेशक
09.	श्री बी०सी०के० मिश्रा	निदेशक (परिचालन)
10.	श्री जयन्त कुमार	निदेशक (वित्त)
11	श्री के० के० सिंह	निदेशक (परियोजना)

बोर्ड की उपसमितियां

निदेशक मण्डल की निम्नलिखित उपसमितियां हैं:—

1. संप्रेक्षा समिति

दिनांक 10.8.2010 की स्थिति के अनुसार संप्रेक्षा समिति का संयोजन निम्न प्रकार से है:—

संप्रेक्षा समिति :-

यह समिति निम्न प्रकार से संयोजित है:—

1. डा0 एस0 रमेश — स्वतंत्र निदेशक
2. श्री आर0पी0 थपलियाल — प्रबन्ध निदेशक
3. श्री नितेश कुमार झा — गैर कार्यकारी निदेशक

निदेशक वित्त इस समिति की बैठक के स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं। इस समिति का अधिकार क्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुरूप है।

अन्य समितियां:

उपरोक्त के अतिरिक्त कई अन्य समितियाँ जैसे कि केन्द्रीय क्रय समिति (सी0पी0सी0), निदेशक स्तर की क्रय समिति, महाप्रबन्धक क्रय समिति, उपमहाप्रबन्धक क्रय समिति, कार्यपालक अभियन्ता क्रय समिति एवं विभागीय पदोन्नति समिति (डी0पी0सी0) का विभिन्न स्तरों पर समय समय पर गठन किया गया/ जाता है जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय प्रक्रिया से सम्बन्धित है। इन समितियों के कार्य एवं दायित्व तत्सम्बन्धित कार्यालय आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं।

निदेशक मण्डल एवं इसकी उप समितियों की बैठक में सामान्य जन प्रतिभाग नहीं कर सकते। कम्पनी अधिनियम 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत इनसे सम्बन्धित एजेन्डा पत्र एवं कार्यवृत्त सामान्य जन के निरीक्षण के लिये सामान्यतः उपलब्ध नहीं है।